कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रायपुर (छ.ग.)

// आदेश //

(दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अंतर्गत)

क्रमांक/138/अ.जि.द./एस.डब्ल्यू/2020 रायपुर, दिनांक 19 मार्च 2020

उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर के पत्र क्रमांक उमनि/वपुअ/राय/जिविशा/ब/963/20 दिनांक 19.03.2020 द्वारा लेख किया गया है कि कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण के मद्देनजर रखते हुए WHO के अनुसार कोरोना वायरस (COVID-19), एक संक्रामक बीमारी है। जो विश्व के विभिन्न देशों में कुछ ही हफ्तों में महामारी का रूप ले रही है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षित है कि कोरोना वायरस (COVID-19) के संपर्क से पीडित, संदेही से दूर रहने की संगरोध की सख़्त हिदायत है। कोरोना वायरस (COVID-19) रेग्युलेशन के अंतर्गत इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए संक्रामक व्यक्ति को घर/संगरोध में चिकित्सा हेतु लाया जाना सुनिश्चित किया जावे। छत्तीसगढ शासन के द्वारा यह भी यह निर्देशित किया गया है कि इससे बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाया जावे। संक्रमण से बचाव हेतु जिला रायपुर में स्वास्थ्यगत् आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु विभिन्न प्रकार के सभा, धरना, रैली, जुलूस, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक कार्यक्रम के आयोजन आदि को प्रतिबंधित कर दा.प्र.सं. की धारा 144 घोषित करने हेतु अनुशंसा किया गया है।

ऐसी आपात स्थिति में इतना समय संभव नही है कि रायपुर जिले में निवासरत सभी नागरिकों को यह नोटिस तामिल करवाया जा सके। अतः एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत धारा 144 को लागू करना उचित है।

अतः मैं डॉ0 एस0 भारतीदासन, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रायपुर दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत धारा 144 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न प्रतिबंधात्मक आदेश पारित करता हूँः–

1. जिला रायपुर में स्वास्थ्यगत् आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु विभिन्न प्रकार के सभा, धरना, रैली, जुलूस, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल कार्यक्रम के आयोजन, अवांछित विचरण, सार्वजनिक स्थानों में वैवाहिक तथा अन्य आयोजन, क्लब हाउस, एसोसिएशन बिल्डिंग आदि को प्रतिबंधित किया जाता है।
2. यदि किसी व्यक्ति को लेकर पर्याप्त कारण/जानकारी या यह मानने के लिए वह कोरोना वायरस (COVID-19) से संक्रमित है या किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में है, जो संक्रमित हो सकता है। तो यह अनिवार्य होगा कि ऐसे व्यक्ति द्वारा तत्काल सहयोग कर सारी जानकारी घोषित करे एवं सभी सहयोग निगरानी दल को देगा और निगरानी दल के द्वारा दिए गए मौखिक एवं लिखित निर्देशें का शब्दशः पालन करना अनिवार्य होगा।
3. निगरानी जांच निरीक्षण दल द्वारा भौतिक परीक्षण, संगरोध और ईलाज से संबंधित है और ऐसे संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आये हुए अन्य व्यक्ति पर लागू हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो निवारण या ईलाज के इन उपयोग या सहयोग देने से मना करता है अथवा संबंधित जानकारी देने से इंकार करता है या निगरानी दल के निर्देशो का पालन नही करता है, तो वह भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 270 के दण्ड के लिए भागी होगा।
4. .शासन द्वारा जारी पत्र कमांक एफ 1–26/2020/17–1 दिनांक 13.03.2020 के अंतर्गत उल्लेख है कि किसी व्यक्ति/संस्था/संगठन द्वारा जारी उक्त पत्रान्तंर्गत कोरोना वायरस के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु जारी किसी भी निर्देश का उल्लंघन किया जाता है तो वह भारतीय दंड संहिता 1860(1860 का 45) की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आता है। अतः किसी व्यक्ति/संस्था/ संगठन द्वारा शासन के निर्देशों का उल्लघंन नही किया जावेगा।

यह आदेश रायपुर जिले के समस्त नगरीय सीमा क्षेत्र के लिए तत्काल प्रभावशील होगा, जो दिनांक 31 मार्च 2020 या अग्रिम आदेश, जो पहले आये तक प्रभावशील होगा।

आज दिनांक 19 मार्च 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

Office of the District Magistrate ★ RAIPUR (C.G.) ★

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर (छ.ग.)

Scanned by CamScanner

पृ. क्रमांक / 138 / अ.जि.द. / एस.डब्ल्यू / 2020 रायपुर, दिनांक 19 मार्च 2020

प्रतिलिपि :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं पविार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

1. आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर क्षेत्र, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
5. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला रायपुर को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। सभी उल्लेखित स्थानों पर मुनादी करावें।
6. सर्व तहसीलदार / कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला रायपुर को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। सभी उल्लेखित स्थानों पर मुनादी करावें।
7. उप संचालक, जनसंपर्क, रायपुर को सभी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ अग्रेषित ।
8. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
9. सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगरीय निकाय, जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर

Office of the District Magistrate ★ RAIPUR (C.G.) ★

Scanned by CamScanner